प्रेस नोट, जालौन पुलिस

दिनांक – 17.02.2026

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना नदीगांव पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना में संलिप्त 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया ।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 14.02.2026 को थाना नदीगांव पर वादिया श्रीमती रामवती द्वारा 08 आरोपियों के विरुद्ध अपने पुत्र राघवेन्द्र का अपहरण कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी जिसके संबन्ध में थाना नदीगांव में मु0अ0सं0 21/2026 धारा 140(1)//103(1)/238/61(2) बीएनएस बनाम कृष्णपाल उर्फ कुलदीप पुत्र घनश्याम उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम सराय थाना पूंछ जिला झांसी आदि 08 नफर विरुद्ध पंजीकृत हुआ **था ।** मृतक के शव के पंचायतनामा व भौतिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही फील्ड यूनिट टीम म0प्र0 पुलिस द्वारा की गयी थी ।

घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय जालौन द्वारा 03 टीमो का गठन किया गया था । जिसके परिणामस्वरूप 72 घण्टे के अन्दर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नदीगांव पुलिस टीम की विवेचना के क्रम मे इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज आदि के संकलन से अभियुक्तगण कृष्णपाल उर्फ कुलदीप पुत्र घनश्याम उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम सराय थाना पूंछ जिला झांसी आदि 06 नफर की संलिप्तता पाई गयी है जिनको गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जें सें एक अदद हुण्डई औरा कार सफेद रंग,एक अदद एक्टिवा स्कूटी,एक अदद अवैध पिस्टल व दो जिन्दा कारतूस .32 बोर,दो डाटा केबल,एक अदद मफलर व एक थैले में SIR से सम्बन्धित सरकारी दस्तावेज आदि बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा रही है । अभियुक्त निगम उपरोक्त के कब्जे से एक अदद एक अदद अवैध पिस्टल व दो जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद होने पर मुकदमा उपरोक्त संख्या में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ कुलदीप द्वारा बताया गया कि मैं जुआ खेलने का आदी तथा मेरे उपर कई लोगों का कर्जा हो गया था तथा मैने कुछ रुपया मृतक राघवेन्द्र से भी उधार ले लिया था जो बार-बार मांग रहा था

पैसे देने के बहाने को लेकर हम लोगों ने उसको बुलाया था, जिससे राघवेन्द्र मुझसे मिलने आया था जहाँ से उसको अपने अन्य साथियों के साथ कार से ले गया था तथा वहाँ पर अपनी महिला मित्र के साथ राघवेन्द्र के कुछ आपत्तिजनक वीडियो/फोटो बना लिये थे । जिससे वह दबाब में आकर उधार रुपयों की मांग न करें । इसी दौरान मेरा व राघवेन्द्र का आपस में झगडा हो गया था तभी आवेश में आकर हम लोगों ने मोबाईल के डाटा केबिल/मफलर से राघवेन्द्र की मुँह दबा/गला घोट कर हत्या कर दी और शव को छिपाने के उद्देश्य से दतिया सेवडा मार्ग पर झाडियो में फेक दिया ।

अभियुक्तगण की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त मफलर व लाल रंग की डाटा केबल आदि बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. रिंकू पुत्र प्रीतम सिंह उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम मडोरा थाना बडागांव जिला झासीं

2. कृष्णपाल उर्फ कुलदीप पुत्र घनश्याम उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम सराय थाना पूंछ जिला झांसी

3. नीशू वर्मा पुत्र महेश वर्मा उम्र करीब 23 वर्ष निवासी कोरियाना मोहल्ला नेहरू पार्क के सामने वाली गली थाना नवाबाद जनपद झांसी

4. राजकुमार पुत्र मलखान सिंह उम्र करीब 33 वर्ष निवासी बंगरी बंगरा थाना टहरौली जनपद झांसी

5. अभि उर्फ निगम वर्मा पुत्र श्याम सुन्दर उम्र करीब 23 वर्ष गुदरी मोहल्ला शीतला माता मन्दिर के पास थाना कोतवाली झांसी

6. सोनिया उर्फ कुट कुट पत्नी हरगोविन्द वर्मा उम्र करीब 32 वर्ष निवासी इटाइल कोटरा थाना लहचुरा जनपद झांसी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कुलदीप

1-अ0सं0-324/2021 धारा-120B/34/408/420/467/468/471 भादवि कोतवाली झांसी

2- अ0सं0- 322/2021 धारा-341/354 क/354 घ/506 भादवि कोतवाली झांसी।

3- अ0सं0-404/2024 धारा-302(2)/317(2) भादवि थाना चिरगांव झासी

अभियुक्तगणों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी आसपास के जनपदों व प्रदेशों से की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद हुण्डई औरा कार सपेद रंग
2. एक अदद एक्टिवा स्कूटी
3. एक अदद अवैध पिस्टल व दो जिन्दा कारतूस .32 बोर
4. दो डाटा केबल
5. एक अदद मफलर व एक थैले में SIR से सम्बन्धित सरकारी दस्तावेज
6. दवाईया व चश्मे का प्लास्टिक का कवर, पैन्सिल व पेन्सिल कटर रबर आदि

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना नदीगांव मय टीम जनपद जालौन।
2. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस सेल मय टीम जनपद जालौन।